Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 6, May-2019, ISSN 2230-7540

कामकाजी महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु वैश्विक उपबन्ध

Rohitash Meena*

Research Scholar, Department of Law, Maharaj Vinayak Global University, Amer, Jaipur, Rajasthan

सार – ***भारत में महिलाओं की सुरक्षा अब भारत में एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर बहुत हद तक बढ़ी है। महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलने से पहले दो बार सोचती हैं, खासकर रात में। यह दुर्भाग्य से, हमारे देश की दुखद वास्तविकता है जो निरंतर भय में रहती है।***

भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिया गया है। हालाँकि, लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं। वे हमारे देश की वृद्धि और विकास में योगदान करते हैं; फिर भी, वे डर में जी रहे हैं।

महिलाएं अब देश में सम्मानित पदों पर हैं, लेकिन अगर हम पर्दे के पीछे नज़र डालें, तो भी हम देखते हैं कि उनका शोषण हो रहा है। प्रत्येक दिन हम अपने देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले भयावह अपराधों के बारे में पढ़ते हैं जैसे यह एक आदर्श है।

----------X----------

1. परिचय:

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामकाजी महिलाओं के अधिकारों पर महिला श्रमिकों को दी गई सुरक्षा पर प्रकाश डालता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलनों, अनुशंसाओं ,प्रस्तावों , योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा करने का प्रयास किया गया है जो संयुक्त राष्ट्र और आई.एल.ओ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओ द्वारा कामकाजी महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण देनें के लिए अपनाया गया हैं।

2. संयुक्त राष्ट्र संगठन एवं कामकाजी महिलाओं के अधिकार:

संयुक्त राष्ट्र अपनी स्थापना[1] के बाद से, संयुक्त राष्ट्र की संस्था[2] ने महिलाओं की असमान स्थिति के बारे में जागरूकता लाने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने लैंगिक समानता को मौलिक मानव अधिकार[3] के रूप में स्थापित किया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन[4] अपनी स्थापना के समय से ही इस बात पर जोर दिया है कि श्रमिकों के रूप में महिलाओं के हित आम तौर पर पुरुषों की तुलना में असमान होते हैं, और यह इस बात पर बल देता है की महिला श्रमिकों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी विशेष शारीरिक संरचना के कारण परिवारिक , का रिवाजों-रीति और दृष्टिकोणों सामाजिक और कार्य के कार्य उनके उससे दृष्टिकोण जो प्रति के महिलाओ हैं। होती कठिनाइयाँ में संचालन कामकाजी महिला (श्रमिकों) क प्रदान सुरक्षा कोरने के लिए संयुक्त राष्ट्र और आई.ओ.एल. द्वारा समय विभिन्न गए अपनाए पर समय-सम्मेलन, सिफारिशें और उनकी विशेष शारीरिक संरचना के कारण और दृष्टिकोणों सामाजिक और कार्य परिवारिक , उससे दृष्टिकोण जो प्रति के महिलाओ का रिवाजों-रीति हैं। होती कठिनाइयाँ में संचालन के कार्य उनकेकामकाजी महिला राष्ट्र संयुक्त लिए के करने प्रदान सुरक्षा को (श्रमिकों) .ओ.एल.आई और द्वारा समय गए अपनाए पर समय-सम्मेलन विभिन्न, सिफारिशें और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा[5] में यह विश्वास वयक्त किया गया है की समाज के सभी मानव जाती को यह अधिकार केवल मानव होने के कारण प्राप्त है जिसे चाह कर भी नही छोड़ा जा सकता हैश कोई की दुनिया जिसे ,क्ति छीन नही सकती , यह ।है नही निम्न अथवा श्रेठ कोई है समान पुरूष स्त्री सभी से जन्म मनुष्य सभी की है देंता बल पर बात इस घोषणा किसी बिना अवसर सभी उपलव्ध में समाज उन्हें है सामान चाहिए होने प्राप्त के भेदभाव[6] यह समानता के बुनियादी सिद्धांतों को निर्धारित करने पर बल देता है जिसमे मानव

www.ignited.in

अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के संबंध में भेदभाव और जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, जैसे किसी भी प्रकार के भेदभाव को वर्जित करता है दैहिक को व्यक्ति सभी पुरुष ,स्त्री । स्वाधीनता[7] तथा किसी भी प्रकार के दासता गुलामी आदि को प्रतिवंधित करता है।[8] यह घोषणा इस बात पर बल देती है की सभी मानव के प्रति मानुषिक व्यहार किया जायेगा तथा बिना विधिक अनुमति के किसी को किसी भी प्रकार की शारीरिक यातना नही दी जाएगी सामान में दृष्टि की विधि मानव सभी । सामान का विधि के भेदभाव किसी बिना को सभी ,हैसंरक्षण प्राप्त है।[9] यदि किसी के प्राथमिक अधिकारों का अतिलंघन किया जाता है तो ऐसे कार्यो के विरुद्ध पर्याप्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार उपलब्ध है मनमाने को व्यक्ति भी किसी । बिना आदि निष्कासन से देश अथवा गिरफ्तार से तरीके बिन अपनाये को प्रक्रिया कानूनी ा नही किया जायेगा को सभी , सिधान्त के न्याय नैसर्गिक तथा अवसर अधिकार का सुनवाई मात्र पर व्यक्ति किसी एवं है अनिवार्य करना पालन का लगे उस तक जब बनता नही अपराधी उसे आरोप का अपराध दिया कर नही घोषित दोषसिद्ध द्वारा न्यायालय खुले आरोप ।जाता[10] समाज के हर एक महिला एवं पुरुष को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक , सामान को व्यक्ति प्रत्येक ।है अधिकार का प्राप्ति की अधिकार कार्य वह चाहे है प्राप्त अधिकार का वेतन सामान लिए के कार्य एक जिसमे । हो जाता किया न क्यों ही द्वारा के महिला क अवधि निश्चित े लिए अन्तराल के साथ कार्य स्थान पर उचित स्वास्थ्य का वातावरण हो[11]

क. मानव अधिकार पर विश्व सम्मेलन, वियना-१९९३

मानव अधिकारों की वियना घोषणा[12] के कार्यक्रम में कहा गया है कि मानव महिलाओं और लड़कियों के अधिकार सार्वभौमिक मानव अधिकारों का एक अविभाज्य और अभिन्न हिस्सा हैं, भेदभाव और हिंसा के विभिन्न रूपों के लिए चिंता व्यक्त करते हैं, जो दुनिया भर में महिलाओं प्रति भेदभाव को उजागर करना एवं भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन करना नितान्त आवश्यक है |

ख. महिलाओं पर चौथा विश्व सम्मेलन, बीजिंग, सितंबर - 1995

महिलाओं पर चौथा विश्व सम्मेलन[13] का उद्देश्य उन कार्रवाई को पूरा करने के लिए एक मंच तैयार करना है जो 1985 की नैरोबी को लागू करने वाली रणनीतियों के अधूरे काम और इस सवाल के समाधान के लिए कि समाज को प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों पर निर्णय लेने में प्रभावी भागीदारी से महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है। निम्नलिखित घोषणा की :

i. सभी के लिए समानता, विकास और शांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो हर जगह महिला को समानता का अधिकार,सभी मानवता के हित में है

ii. सभी महिलाओं की आवाज़ को हर जगह स्वीकार करना और इस पर ध्यान रखना ।

iii. यह स्वीकार करें कि महिलाओं की स्थिति कुछ महत्वपूर्ण मामलों में उन्नत है पिछले एक दशक में महिलाओं ने लगातार और बड़ी बाधाओं को पार कर यह उपलब्धि बरकरार रखी है, लेकिन यह प्रगति असमान, असमानताओं के बीच रही है और पुरुषों के तुलना में निम्न रही है ।

iv. महिलाओं कि यह स्थिति बढ़ती गरीबी से प्रभावित है यह दुनिया के अधिकांश लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, दोनों की स्थिति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दयनीय है ।

v. महिलाओं कि उन्नति और सशक्तिकरण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए समाज खुद को समर्पित करें और बाधाओं को हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई की करे और इस प्रकार दुनिया भर में महिलाएं को अनारक्षित रूप से आगे करने कि आवश्यकता है ।

vi. महिलाओं एवं पुरुषों के समान अधिकार और मानवीय गरिमा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों का आधार है

vii. महिलाओं और बालिकाओं के मौलिक स्वतंत्रता, मानवाधिकारों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना सभी मानव अधिकारों का अभिन्न और अविभाज्य अंग है ।

viii. महिलाओं की स्वतंत्रता के अधिकार, सशक्तिकरण और उन्नति, नैतिकता, विवेक, धर्म और विश्वास, आध्यात्मिक और बौद्धिक आवश्यकताएं, व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ समुदाय में

www.ignited.in

और जिससे उनकी विकास की संभावना की गारंटी होती है।

ix. महिला सशक्तिकरण और समानता के आधार पर उनकी पूर्ण भागीदारी, निर्णय लेने में भागीदारी।

x. सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें जिससे महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ लिंगभेद के लिए सभी बाधाओं को हटा दें।

ग. सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन, डेनमार्क, मार्च -1995

इस शिखर सम्मेलन[14] में निम्नलिखित उद्देश्यों पर चर्चा की गई:

- सामाजिक एकीकरण की वृद्धि, विशेष रूप से वंचित और हाशिए के समूहों के लिए।
- गरीबी का निवारण।
- उत्पादक रोजगार का विस्तार।
- समाजों को अधिक प्रभावी ढंग से जवाब देय होना चाहिए।
- व्यक्तियों व सामाज के बीच के संबंध पर प्रकाश डालता है।
- पर्यावरण को क्षति पहुचाये बिना व्यक्तियों, उनके परिवारों और समुदायों की भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ सतत विकास के क्रम को जारी रखना।

घ. पुरुषों और महिलाओं के श्रमिकों के लिए समान अवसर और समान उपचार के संबंध में सम्मेलन -1981

यह सम्मेलन[15] राष्ट्रीय स्तर पर एवं विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले आईएलओ कार्रवाई के लिए व्यापक उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिसमें रोजगार और प्रशिक्षण के लिए समान पहुंच शामिल है, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक के सिद्धांत को बढ़ावा देना, कार्य स्थितियों में सुधार, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना और विभिन्य क्षेत्रो में महिलाओं के योगदान के आकड़ो को प्रस्तुत करना।

1. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन -

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का यह प्रयास है की कोई भी देश महिलाओं के मौलिक मानवाधिकारों के भेदभाव और अन्य उल्लंघनों के लिए कोई बहाना नहीं बना सके अथवा उच्च या निम्न आय, लैंगिक असमानता की सामाजिक और आर्थिक क्षमता के मानदंड पर भेदभाव न कर सके। ऐसी महत्वाकांक्षी नीतियां अपनाना जो समाज और कार्यस्थल पर लिंग के आधार पर मानदंडों और संबंधों को बदलने में सफल होती हैं, उन्हें अपनाना और ऐसी संरचनात्मक असमानता को दूर करना आवश्यक हैं जो महिलाओं के लिए अधिक नौकरियां और महिलाओं के गुणवत्तापूर्ण कार्य, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्यों को पहचानने, कम करने और पुनर्वितरित करने, महिलाओं के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपरिहार्य रूप से बाधक हैं।

जैसे-जैसे दुनिया गहरे बदलाव और वैश्विक चुनौतियों से गुजरती है, वैसे-वैसे महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रभावित करती है। पूरी दुनिया में कामकाजी महिलाओं की स्थितियों का जायजा लेने और लैंगिक समानता और गैर-भेदभाव पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कामकाजी महिलाओं को नई गति देने के उद्देश्य से पूर्ण और स्थायी लैंगिक समानता और गैर-भेदभाव को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की पक्षधर है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इस तथ्य का दृश्य प्रस्तुत करता है कि महिलाएं आज कहां खड़ी हैं और गतवर्षों की तुलना में उन्होंने कैसे काम की दुनिया में प्रगति की है, और असमानताओं के मूल कारणों से महिलाओं कैसे हानि पहुचने का काम किया है और अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के आधार पर उनसे कैसे निपटना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दर्शाता है कि कुछ उत्साहजनक प्रगति के बावजूद, कामकाज के कुछ प्रमुख क्षेत्रो में लिंग अंतराल बने हुए हैं। शैक्षिक प्राप्ति में लैंगिक समता में वृद्धि महिलाओं को मध्य एवं निचले-भुगतान वाले व्यवसायों में ध्यान केंद्रित करने से नहीं रोकती है जो पारंपरिक लिंग रूढ़ियों और महिलाओं की आकांक्षाओं और क्षमताओं के बारे में मान्यताओं को दर्शाती है। यह लिंग के आधार पर क्षेत्रीय और व्यावसायिक अलगाव, काम के समय में अंतर और वेतन में अंतर आदि प्रकार के भेदभाव जो श्रम बाजार की असमानताओं को और बढ़ाता है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक असुरक्षा के लिए लगातार मतभेद को बढावा देता हैं। लैंगिक भेदभाव अवैतनिक घरानों अर्थात परिवारों और समाजों में भी गहरी पैठ बना रखी है, इसे

www.ignited.in

समाप्त करने और पुरूषों के अनुरूप पुनर्वितरित करने के उपायों से महिलाओं की काम में गुणवत्ता और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन लैंगिक समानता के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को नए सिरे से और प्रबलित करने का समर्थन करती है। ऐसी नीतियां जो महिलाओं और पुरुषों के बीच पर्याप्त समानता प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक अनुकूल हैं, मानव समाज के विकास के साथ-साथ आय असमानता में कमी करे और ऐसी नीतियों की पहचान सुनिश्चित करना जो कामकाजी महिलाओ के विकास के लिए उपयोगी हो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन महिलाओ, विशेष रूप से कामकाजी महिलाओ के लिए लैंगिक, आर्थिक और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के अलावा, कुछ सम्मेलन और सिफारिशें हैं जो आम तौर पर सभी श्रमिकों पर लागू होती हैं लेकिन महिला श्रमिकों के संबंध में विशेष प्रावधानो का उपबंध करता है।

सन्दर्भ

1. संयुक्त राष्ट्र की स्थापना २४ अक्टूबर १९४५ को संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई।

2. संयुक्त राष्ट्र संस्था की संरचना में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित है।

3. संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते; मानव की गरिमा है और स्त्री-पुरुष के समान अधिकार हैं। इस घोषणा के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा अंगीकार की।

4. अंतराष्ट्रीय श्रम संघ (आईएलओ), अंतरराष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट त्रिपक्षीय एजेंसी है जिसके सदस्य सरकारें, कर्मचारी तथा कामगार हैं। इसकी स्थापना सन् 1919 में वर्साइल की संधि के द्वारा हुई थी।

5. मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा (यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स {यू.डी.एच.आर.}) एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को पेरिस, फ्रांस में पैलैस डी चैलॉट में रिज़ॉल्यूशन 217 के रूप में अपने 183 वें सत्र में अंगीकार किया था।

6. अनुच्छेद 1, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा – 1948

7. अनुच्छेद 3, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा – 1948

8. अनुच्छेद 4, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा – 1948

9. अनुच्छेद 5, 6 एवं 7 मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा – 1948

10. अनुच्छेद 8, 9, 10 एवं 11 मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा – 1948

11. अनुच्छेद 8, 9, 10 एवं 11 मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा – 1948

12. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन, 14-25 जून 1993, वियना, ऑस्ट्रिया । जिसको 25 जून 1993 को, 171 राज्यों के प्रतिनिधियों ने मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन की वियना घोषणा और कार्यक्रम की कार्रवाई को सर्वसम्मति से अपनाया।

13. महिलाओं पर चौथा विश्व सम्मेलन: कार्रवाई, समानता, विकास और शांति के लिए बीजिंग में 4 से 15 सितंबर 1995 के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा बुलाई गई, सम्मेलन के लिए दिया गया नाम था।

14. वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट 6-12 मार्च 1995 से कोपेनहेगन में आयोजित सम्मेलन।

15. पुरुषों और महिलाओं के श्रमिकों के लिए समान अवसर और समान उपचार के संबंध में सम्मेलन: पारिवारिक जिम्मेदारियों वाले कर्मकार -1981 (सी 156, स्वीकार तिथि: जिनेवा, 67 वां आईएलसी सत्र, 23 जून 1981)

www.ignited.in

Corresponding Author

Rohitash Meena*

Research Scholar, Department of Law, Maharaj Vinayak Global University, Amer, Jaipur, Rajasthan